

संप्रवर्तक द्वारा आवंटितियों को जारी होने वाले मांगपत्र के दिशा निर्देश

प्राधिकरण के समक्ष प्रकरणों की सुनवाई में पाया गया है कि संप्रवर्तक द्वारा आवंटितियों जारी होने वाले मांगपत्र में संपूर्ण विवरण शामिल नहीं होते। अतः आवंटितियों को भेजे जाने वाले प्रत्येक मांगपत्र में निम्नलिखित विवरण आवश्यक रूप से शामिल किए जावें—

1	परियोजना का नाम	
2	रेरा पंजीयन क्रमांक	
3	आवंटी का नाम	
4	फ्लैट/आवास/भूखण्ड क्रमांक	
5	अनुबंधित मूल्य	
6	वर्तमान दर पर देय टैक्स	
7	अन्य प्रभार	
8	टैक्स सहित कुल मूल्य	
9	आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि	
10	कार्य की भौतिक स्थिति	
11	इस स्तर पर अनुबंध अनुसार देय राशि	
12	पूर्व की बकाया राशि यदि हो तो	
13	कुल माँग	
14	मांग के भुगतान की समयसीमा (कम से कम 15 दिन जोड़कर)	
15	भूसंपदा का आधिपत्य दिए जाने के समय भेजे जाने वाली सूचना में आधिपत्य पूर्व निरीक्षण के विवरण और तारीख भी स्पष्ट उल्लेख हो।	

प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसका स्कॉल चलाया जाए ताकि सभी संप्रवर्तकों के संज्ञान में आ सके।